

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/प्रयो.सहा0/(एफ-24)/2019/

दिनांक :

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/प्रयो0सहा0/(एफ-24)/2018/273 दिनांक 24.07.2018 के क्र.स. 13 पर अंकित कार्मिक श्री श्रवण कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डेला (सीकर) के स्थाईकरण के आदेश जारी किये गये थे, में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

कार्य ग्रहण तिथि	परिवीक्षा पूर्ण करने की तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3
17.12.2015 के स्थान पर 15.12.2015 पढा जावें	16.12.2017 के स्थान पर 14.12.2017 पढा जावें	17.12.2017 के स्थान पर 15.12.2017 पढा जावें

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक : 08/07/19

क्रमांक :- ई-33/प्रयो0सहा0/(एफ-24)/2019/192

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डेला (सीकर)।

3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करें।

4. श्री श्रवण कुमार, प्रयोगशाला सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

5. आदेश/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर